संख्या– / /XXIV(4)/2018-01(14)/2016

प्रेषक,

डॉ0 रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 **देहरादूनः दिनांक 02 अगस्त, 2018**

विषयः– **राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत/रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थाई व्यवस्था के रूप में अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत् गेस्ट फैकल्टी/संविदा शिक्षकों की संविदा अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–डिग्री सेवा/संविदा/1425/2017–18 (P.S.), दिनांक 16 मई, 2018 के संदर्भ तथा शासनादेश संख्या–901/XXIV(4)/2018-01(14)/2016, दिनांक 31 जुलाई, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रवक्ताओं के स्वीकृत/रिक्त **877** पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। लोक सेवा आयोग से नियमित प्रवक्ताओं के चयन की संस्तुति प्राप्त होने व उसके उपरान्त उनकी तैनाती होने में समय लगना सम्भावित है। अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्व में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से गेस्ट फैकल्टी/ प्रातःकालीन/सांध्यकालीन शिक्षकों के रूप में नियुक्त किये गये कुल 365 अभ्यर्थियों को पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में पठन–पाठन को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु नितान्त अस्थायी रूप से कामचलाऊ व्यवस्था के तहत मात्र एक शिक्षण सत्र, 2018–19 के अन्त तक **अथवा** लोक सेवा आयोग से नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले हो, बशर्ते उक्त विस्तारित अवधि इससे पूर्व समाप्त न कर दी जाय, तक के लिए पात्र अभ्यर्थियों/शिक्षकों की संविदा अवधि विस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(डॉ0 रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–811 (1)/XXIV(4)/2018-01(14)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3–निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड **द्वारा**–निदेशक, उच्च शिक्षा।
5–समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड **द्वारा**–निदेशक, उच्च शिक्षा।
6–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7–वित्त अनुभाग–3 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
8–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

C:\BISHT\Documents\P.K. Verma\P.K.Verma\Letter General.doc